कार्पोरेट मीडिया

इतनी तिलमिलाहट क्यों ?

अमेरिका ने वीसा छल और नौकरानी उत्पीड़न की आरोपी भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे पर कानूनी कार्यवाही क्या की, भारतीय तंत्र में मानो पूरा भूचाल आ गया। अपने एक सहयोगी को आम अपराधी की तरह अपमानित होते हुए देख भारतीय विदेश सेवा के अफसरों को तो उबलना था ही। इस भूचाल और उबाल के चलते देश के राजनीतिकों में भी जवाबी आक्रोश दिखाने की होड़ लग गयी है। वर्गीय ठेस को राष्ट्रीय अपमान का नाम दे दिया गया और अमेरिकी सरकार से माफी मांगने को कहा गया गया। यहाँ तक कि बिना भारतीय जनता के सामने सारी जानकारी रखे मांग की जा रही है कि अमेरिकी सरकार देवयानी के विरुद्ध आपराधिक मामला खत्म करे। जबकि देवयानी ने विदेशी धरती पर एक अन्य भारतीय नागरिक के विरुद्ध ही गंभीर अपराध किया है। अमेरिका ने, सही ही, न माफी माँगी और न ही मामला खारिज किया। लिहाजा बदले में भारत स्थित अमेरिकी राजनयिकों पर चौतरफा कूटनीतिक गाज गिराई जा रही है।

अमेरिकी कानून के मुताबिक, न्यूयार्क में भारत की उप महावाणिज्य दूत देवयानी ने एक बेहद संगीन ही नहीं बल्कि घिनौना अपराध किया है, जालसाजी से घरेलू नौकरानी संगीता रिचर्ड्स के लिए अमेरिकी वीसा लेने का और फिर उसे न्यूयार्क लाकर श्रम-दासता में रखने का। दासता के प्रश्न पर तो अमेरिका ने गृहयुद्ध तक झेला है और यह उनकी ऐतिहासिक विरासत का एक बेहद सवेदनशील पहलू है। पर भारतीय शासक वर्ग तो कानून अपने जूते पर रखने का आदी रहा है। अपने देश में घरेलू नौकरानी को नियमानुसार वेतन देने या उससे काम नियत घंटों अनुसार करवाने संबंधी कानून की पालना की तो वह सोच भी नहीं सकता। कमजोर वर्ग के प्रति वह दया तो दिखा सकता है पर मानवीय हरगिज नहीं हो सकता। मानवाधिकार की बड़ी-बड़ी बातें वह करता है अपना सांस्कृतिक व राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, न कि कमजोर तबकों को सामाजिक/आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए।

देवयानी एक अनुसूचित जाति परिवार से है। उसके पिता महाराष्ट्र सिविल सेवा के अफसर रहे और आइ ए एस होकर रिटायर हुए। देवयानी स्वयं 1999 में भारतीय विदेश सेवा में आ गयी। पिता की शान और राजनीतिक प्रभाव तो छोड़िये, देवयानी भी आज करोड़ों की चल-अचल सपत्ति की मालिक है। शासक तबकों की स्वाभाविक वर्गीय सोच के तहत ही वह हिन्दुस्तान से संगीता को घरेलू कामगार के रूप में न्यूयार्क लाई।

अमेरिकी वीसा कानूनों का पेट भरने के लिए देवयानी ने संगीता के साथ दिल्ली में एक करार का नाटक किया जिसके अनुसार वह संगीता को अमेरिकी श्रम कानूनों के तहत 9 डालर प्रति घंटे की दर से वेतन देगी। अमेरिकी वीसा अधिकारियों की आँख में धूल झोंकने के लिए संगीता के वीसा आवेदन में इस करार को भी नत्थी किया गया पर यह सिर्फ दिखावा था।

भारतीय विदेश सेवा के अफसरों के लिए विभिन्न देशों में घरेलू कामगारों को ले जाने के लिए इस तरह की जालसाजी सामान्य है। एक बार प्रभु वर्ग में शामिल होने के बाद देश के कमजोर तबकों का शोषण उनका मूलभूत अधिकार जो बन जाता है। जाहिर है उन्होंने कामगारों से किये करार निभाने तो होते नहीं हैं। जब देश में ही घरेलू कामगार को न्यूनतम वेतन देने का चलन नहीं है तो विदेशों में तो उसकी स्थिति और दयनीय होनी ही है। वहां तो वे पूरी तरह देवयानी जैसे मालिकों के रहमो-करम पर होते हैं। देवयानी ने न्यूयार्क में न सिर्फ संगीता को बहुत कम वेतन दिया बल्कि असीमित श्रम के तरीकों से भी उसे उत्पीड़ित किया जो अमेरिकी कानूनों के अनुसार गंभीर अपराध हैं। यह और बात है कि देवयानी की पोल जल्दी खुल गयी और वह स्वयं ही अमेरिकी न्याय व्यवस्था के हत्थे चढ़ गयी।

हुआ यूं कि जुलाई 2012 में कम वेतन और काम के लबे घंटों से तंग आकर संगीता एक दिन देवयानी के न्यूयार्क आवास से निकल गयी। घटनाक्रम से लगता है कि वह मैन्हैटन (न्यूयार्क) के अभियोजन अटार्नी प्रीत भरारा के कार्यालय के सपर्क में रही होगी। उसका पति और परिवार के कुछ अन्य सदस्य दिल्ली में विदेशी दूतावासों के लिए काम करते हैं। लिहाजा वे विदेशों में अपने अधिकारों को लेकर अपेक्षाकृत जागरूक भी होंगे ही। भारतीय मूल के अमरीकी अटार्नी भरारा ने पहले भी कई विशिष्ट भारतीयों की अमेरिका में आर्थिक/व्यावसायिक जालसाजी पकड़ी है। मौजूदा मामले में उनका कार्यालय लगातार अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास को लिखता रहा कि देवयानी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पर बजाय यह कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने के, देवयानी ने संगीता के खिलाफ अमेरिका और भारत में कानूनी पेशबंदी का मोर्चा खोल दिया। उसने एक ओर मैन्हैटन में संगीता के फरार होने की रपट दर्ज कराई, और दूसरी ओर दिल्ली की अदालत में संगीता पर करार तोड़ने का केस कर दिया।

देवयानी की गिरतारी के लिए भरारा की मैनहैट्टन (न्यूयार्क) पुलिस का बर्ताव भारतीयों को अपमानजनक लग सकता है। उसे अदालत में पेश करते समय हथकड़ी लगाई गयी और पुलिस हिरासत में उसकी पूरी शारीरिक तलाशी ली गयी। उसे अन्य आरोपियों के साथ लाक-अप में रखा गया। पर ऐसा ही बर्ताव उनके यहां हर गिरतारी में किया जाता है।

इन मामलों में वे अमीर गरीब या ताकतवर कमजोर में भेदभाव नहीं करते। गिरतार व्यक्ति को हथकड़ी लगाना वहां की सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत में अमीर या ताकतवर को तो जेल में भी विशिष्ट व्यवहार मिलता है जबकि गरीब या कमजोर आरोपी को सौ गुणा अधिक अपमान झेलना पड़ता है। यदि देवयानी को अमेरिका में अमेरिकी कानूनों के अनुसार गिरतार किया गया तो इसमें गलत क्या है? कुछ हल्कों में देवयानी के अनुसूचित जाति का होने का सवाल भी उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि यदि कोई अश्वेत अमेरिकी अधिकारी भारत में आकर किसी अनिसूचित जाति के व्यक्ति को जातिसूचक अपशब्द कहे तो क्या उस पर उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी?

यह भी कहा गया है कि सारा 'तमाशा' संगीता द्वारा स्वयं को पीड़ित दिखाकर अमेरिकी नागरिकता हथियाने के लिए किया गया, और देवयानी की गिरतारी के ऐन दो दिन पहले एटार्नी भरारा के कार्यालय ने संगीता के पति व बच्चों को अमेरिका बुला लिया जो उनके भी इस षड़यंत्र में शामिल होने का सूचक है। सोचने की बात है कि संगीता या उसके पति जैसे सामान्य भारतीयों का मैन्हैटन अटार्नी कार्यालय पर क्या जोर हो सकता है? पति को अमेरिकी कानूनों के तहत देवयानी मामले में आवश्यक गवाह होने के नाते बुलाया गया और छोटे बच्चे पीछे अकेले नहीं छोड़े जा सकते थे। देवयानी के प्रभावशाली पिता के अनुसार संगीता सी आई ए एजेंट हो सकती है। यदि ऐसा है तो उसे दिल्ली में रखना सी आई ए के लिए ज्यादा फायदेमंद होता न कि न्यूयार्क भेजना। अन्यथा भी वह भारतीय राजनयिक के घरेलू कामगार के रूप में सी आई ए को उपयोगी सूचनाएं दे पाती न कि उसके घर से भागकर।

ठीक है कि अमेरिका अपने सुपर पावर होने के नशे में अपने नागरिकों व राजनयिकों के लिए सारी दुनिया में विशिष्ट अपवाद मांगता है। भारतीय मानस दिसंबर 1984 की भोपाल गैस-त्रासदी की हजारों मौतों के लिए जिमेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी के भगोड़े मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडरसन को माफ़ नहीं कर सकता, जिसे अमेरिका ने कानूनी कार्यवाही भुगतने के लिए भारत भेजने से लगातार इनकार किया है। पाकिस्तान भी जनवरी 2011 में लाहौर में दो पाकिस्तानियों की अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी आई ए के कांट्रैक्ट कर्मचारी रेमंड डेविस द्वारा सरे राह हत्या को नहीं भुला सकता। इस मामले में, अमेरिकी कूटनीतिक दबाव के चलते, आरोपी के बजाय मुकदमा भुगतने के, उससे मृतकों के रिश्तेदारों को हर्जाना दिलाकर मामला खत्म करा दिया गया था7 पर इन मामलों को अमेरिका ने कभी राष्ट्रीय अपमान का मामला बना कर नहीं पेश किया; न एंडरसन या डेविस को उन्होंने अपना राष्ट्रीय हीरो बनाया।

इस दौरान संगीता के पक्ष में भी घरेलू कामगार संगठनों के कुछ छुट-पुट प्रदर्शन हुए हैं। पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं की इस मामले में चुप्पी समझ से बाहर है7 उन्होंने मामले में अमेरिकी सरकार या अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास से कोई स्थिति-रिपोर्ट तक नहीं ली है।

भारत का विदेश मंत्रालय तो पूरी तरह से अफसरवाद की गिरफ्त में है, पर श्रम मंत्रालय को तो वस्तुपरक समीक्षा करनी चाहिए थी। अमेरिकी अधिकारियों का नहीं, देवयानी का व्यवहार भारतीय राष्ट्र के लिए शर्म का विषय है। परिस्थिति की मांग है कि भारत सरकार विदेश सेवा के इस दोषी अधिकारी पर, घरेलू कामगार के उत्पीड़न के आरोप में ही नहीं बल्कि भारत का नाम विदेशों में बदनाम करने के लिए भी, अपने अनुशासन नियमों के अनुसार कार्यवाही करे।

विकास नारायण राय

तुर्की-ब-तुर्की

सोनिया गांधी
यूपीए चेयरपर्सन

''कांग्रेसअपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जल्द घोषित करेगी''

हमारा कहना है-

- वाह री कांग्रेस! रस्सी जल गयी ऐंठन नहीं गयी। चार राज्यों में विधान सभा चुनाव में जनता ने क्रांग्रेस को इतनी भयंकर मार दी पर आपके तेवर ज्यों के त्यों हैं। आगामी लोकसभा चुनावों में आपको तो अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाने की चिन्ता होनी चाहिये।

- वैसे, प्रधानमंत्री पद के लिये कांग्रेसी उम्मीदवार को लेकर ऐसा कोई रहस्य भी नहीं बचा है। मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने इसलिये ही तो प्रधानमंत्री बनाया था कि आप स्वयं या आपके साहबज़ादे राहुल गांधी जब चाहें उन्हें खिसकाकर उस कुर्सी पर काबिज हो जायें। यदि किसी पेशेवर राजनीतिज्ञ को आपने यह कुर्सी थमाई होती तो वह आपका और आपके परिवार का वही हाल करता जो एक जमाने में नरसिंहराव ने आपके द्वारा प्रधानमंत्री बनाये जाने के बाद किया था। राव ने तब अपने कार्यकाल (1991-1996) के दौरान सरकार और पार्टी दोनों हथिया कर आपको एक किनारे बैठा दिया था।

- आपको भी पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल खस्ता ही रहने वाला है। लिहाज़ा राहुल के नाम की अभी से घोषणा करने का मतलब होगा कि उसकी अभी से ऐसी-तैसी हो जाय। बेहतर विकल्प यही है कि मनमोहन सिंह नामक कठपुतले के सिर पर ही पार्टी की हार का ठीकरा फ़ोड़ा जाय।

- हालांकि आपकी बहादुराना घोषणा से पार्टी में आपकी विशिष्ट स्थिति एक बार फ़िर रेखांकित हुई है। देखा जाय तो मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी आपकी पार्टी से ही सबक लिया है। जैसे कांग्रेस में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की घोषणा का विशेषाधिकार 10 जनपथ के पास है, उसी तर्ज पर नरेन्द्र मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर से की गयी। न आपकी पार्टी कांग्रेस में लोकतन्त्र है और न भाजपा में। इस मामले में मानना पड़ेगा कि आपका मार्गदर्शन भाजपा ने स्वीकार किया है।

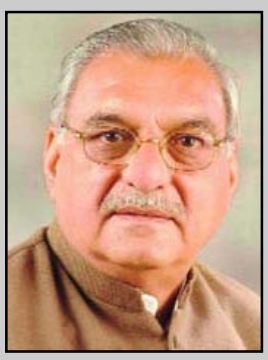

भूपेंद्र सिंह हुड्डा
यूपीए चेयरपर्सन

''हम फ़रीदाबाद का पुराना गौरव वापस लायेंगे। पहले की सरकारों ने इसे 'फ़कीराबाद' बना दिया है।''

हमारा कहना है-

- शायद जोश में आप भूल गये गत 9 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री आप ही हैं। इस दौरान भी यदि फ़रीदाबाद फ़कीराबाद ही बनता गया है तो उसकी जवाबदेही तो आपकी ही बनती है न कि पूर्ववर्ती सरकारों की। 9 वर्ष बहुत लम्बा अर्सा होता हैऔर आपके पास अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिये कुछ भी नहीं है।

- हां अपनी पूर्ववर्ती सरकारों की तर्ज पर आपने भी फ़रीदाबाद में मैट्रो परियोजना के आने और बदरपुर फ्लाईओवर बनने पर जहां तक हो सका रुकावटें ही लगाई थीं। ऐसा आपने गुड़गांव में व्यापक निवेष करने वाले बिल्डरों से मिले टुकड़ों के दबाव में किया ताकि फ़रीदाबाद-गुड़गाव के रीयल एस्टेट बाज़ार के लिये चुनौती न बन सके।

- फ़रीदाबाद में गत 25 वर्षों से बन रहा बाई पास अभी तक बन ही रहा है। ओल्ड फ़रीदाबाद चौक से एन आई टी को जोड़नेवाला रेलवे अंडरपास पिछले चार साल से निर्माणाधीन है। बड़खल रेलवे फ्लाईओवर जो 15 वर्ष पूर्व 4 लेन हो जाना चाहिये था अभी तक हो ही रहा है। मेवला महाराजपुर का रेलवे अंडरपास अभी तक जबानी जमा खर्च में ही चल रहा है। मुजेसर अंडरपास का तो अभी कोई चर्चा ही नहीं।

- बादशाहखान अस्पताल व ई एस आई अस्पतालों की दुदर्शा से सारी जनता त्रस्त है। तमाम सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व वाइ एम सी ए विश्व-विद्यालय में पढाई के नाम पर छात्रों को शुद्ध धोखा दिया जा रहा है।

- शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त में दी गयी 200 बसें बरसों तक खड़ी-खड़ी ही जंग खा गयीं। उन्हें चलाने के लिये आपको न तो ड्राइवर कंडक्टर मिले और न ही मुरम्मत के लिये वर्कशाप में मिस्त्री। सड़कों व सीवर के नाम पर केन्द्र से जे एन यू आर एम के नाम पर आये अरबों रुपये आपके लग्गुए-भग्गुए डकार गये और जनता टूटी-फूटी सड़कों व उफ़नते सीवरों को भुगत रही है।

- जनता के जान-माल की सुरक्षा रखने के नाम पर तैनात पुलिस जनता को लूटने-पीटने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही। लगभग हर थाना-चौंकी बिकी हुई है, बिके क्यों न जब तमाम ज़िले ही हुड्डा सरकार ने बेच रखे हों; अपराध-ग्राफ़ सीधे पुलिस की आय से जुड़ा हो

वीरप्पा मोइली
कानून मंत्री, भारत

''पर्यावरण मंजूरी के लिये कोई फ़ाइल नहीं रहेगी लबितः मोइली''

हमारा कहना है-

- ये फ़ाइलें तो आपके आकाओं की हैं। उन्हें तो आप निकाल ही दोगे मोइली साहब। आपको तो बस वो फ़ाइल ही नहीं मिल रही जिसमें आपके पूर्ववर्ती तेल मंत्री जयपाल रेड्डी ने रिलायंस कंपनी पर के.जी.-डी-6 क्षेत्र में कम गैस निकालने के दोष में 7000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया था। अब बिना फ़ाइल मिले आप भला कैसे जुर्माना वसूल करें रिलायंस से।

- हां बेचारे ग़रीब अंबानी को गैस की कीमत 2.2 से बढ़ाकर और फ़िर 4.2 डालर से बढ़ाकर 8.4 डॉलर प्रति यूनिट देने की फ़ाइल जरूर आपने आते ही तुरन्त निकाल दी थी, ये हम जानते हैं। और इस बहाने अब आप हमारे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने को भी जायज ठहरा सकते हैं कि क्या करें पीछे से गैस ही महंगी मिल रही है।

- पर याद रखना मोइली जी। इसी तरह बिजली कंपनियों के रेट बढ़ाने की फ़ाइल निकालने वाली शीला दीक्षित की अपनी ही फ़ाइल दिल्ली की जनता ने अभी-अभी निकाल कर कूड़ेदान में फ़ेंकी है।

- तेल मंत्री रहते हुये ग़रीब अंबानी की तो ग़रीबी दूर कर ही आये मोइली जी अब मौका मिला है तो तुरन्त बेचारे बिल्डरों की भी ग़रीबी दूर कर दो जो पश्चिमी घाट पर हज़ारों करोड़ रुपया की ज़मीन खरीदे बैठे हैं लेकिन वहां बना कुछ नहीं पा रहे। अकेले सहारा ग्रुप के सुब्रत राय ही 19500 करोड़ रुपया की ज़मीन वहां लिये बैठे हैं जो निर्माण कार्य की मंजूरी न होने के कारण दो कौडी की भी नहीं रह गई है। आप तो लोकसभा के चुनावों के लिये आचार संहिता लागू होने से पहले ये मोटी-मोटी दो चार फ़ाइलें निकाल जाओ बाकी पर्यावरण जाओ तेल लेने।